

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 138/162/वित्त/नियम/चार,  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 10 मई, 2011

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

**विषय:-छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत देय बकाया वेतन के तीसरी  
किश्त की आहरण की स्वीकृति ।**

संदर्भ:-1.वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं/70/162/वित्त/नियम /चार/2009,दिनांक 23.03.2009 ।  
2. वित्त विभाग की परिपत्र क्रमांक/74/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 24 मार्च 2009।  
3. वित्त विभाग की परिपत्र क्रमांक/130/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 17.05.2010 ।

**&&&&&&&&&**

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 से संबंधित संदर्भित अधिसूचना एवं ज्ञापनों का अवलोकन करें । संदर्भित अधिसूचना की कंडिका 14 के तहत छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 लागू होने के फलस्वरूप देय अगस्त 2008 तक के बकाया वेतन का भुगतान तीन किश्तों में किया जायेगा । जिसके अनुसार सितम्बर 2007 से अगस्त 2008 तक की अवधि के बकाया राशि का भुगतान वर्ष 2011-12 में किया जाना है । संदर्भित ज्ञापन दिनांक 24 मार्च, 2009 के पैरा 9 में उक्त बकाया राशि के भुगतान हेतु यथासमय आदेश प्रसारित करने का निर्देश है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों के छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अन्तर्गत सितम्बर 2007 से अगस्त 2008 तक अवधि के बकाया राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है । उक्त भुगतान से नियमानुसार सामान्य भविष्य निधि अंशदान एवं आयकर की कटौती कर ली जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**प्रतिलिपि:-**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, रायपुर ।
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग